केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
••••••

दिनांक: 17.07.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/225
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00218
CICOM/R/2017/50263

अपीलकर्ता : श्री आर. पी. वर्मा,
159/5 ओल्ड टाइप-2,
ओ.एफ.डी. इस्टेट लाडपुर,
रायपुर, देहरादून -248008.

निर्णय की तारीख : 17.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.05.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.06.2017, 02.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री टी. के. मोहापात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	147136/10.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 21.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के आयोग भेजे अपने दिनांक 30 जनवरी, 2017 के पत्र जो कि आयोग के आदेश सं. CIC/LS/C/2013/000027 एवं CIC/LS/C/2013/000028 के अनुपालन से संबंधित था, से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित श्री कृष्ण अवतार तलवार ने अपने दिनांक 01.06.2017 के पत्र में डायरी सं. 107217 के साथ दिनांक 02.02.2017 का भी उल्लेख किया है, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.01.2017 का पत्र जिसका डायरी सं. 107217 है एवं 02.02.2017 को आयोग में प्राप्त हुआ है ।अपने दिनांक 02.06.2017 के प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महोपात्रा ने स्पष्ट किया है कि अपीलकर्ता के दिनांक 30.01.2017 का पत्र (डायरी सं. 107217) जो कि आयोग के आदेश सं. CIC/LS/C/2013/000027 एवं CIC/LS/C/2013/000028 के नॉन-कम्पलाईस से संबंधित है, आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना आयुक्त (डी.पी.) की रजिस्ट्री में भेज दिया गया है । अतः श्री हारो प्रसाद सेन, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सूचना आयुक्त – डी.पी. कार्यालय) को आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता के दिनांक 30.01.2017 के नॉन-कम्प्लाईस संबंधित शिकायत पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करवाई जाए । द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तर्कसंगत है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/L

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री हारो प्रसाद सेन, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सूचना आयुक्त – डी.पी. कार्यालय), के.सू.आ., नई दिल्ली । - आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।

18/07/17

के० सू० आ०
RECEIVED
18 JUL 2017
D. No.........
Initials.........